रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 502] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 20, 1975/अग्रहायण 29, 1897
No. 502] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 20, 1975/AGRAHAYANA 29, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December 1975

S.O. 720(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information:—

DECLARATION

Election to the Council of States by the elected members of the Bihar Legislative Assembly.

"In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961,

I declare that ZAWAR HUSAIN, 3, King George Avenue, Patna 1, has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Bhupendra Narain Mandal.

(Sd.)
Returning Officer & Secretary,
Bihar Legislative Assembly."

Bihar Legislative Assembly Building, Patna.
The 8th day of December, 1975.

[No. F.13(3)/75-Leg.II]

E. VENKATESWARAN, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1975

का० आ० 720 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा जिसमें राज्य सभा की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि भूपेन्द्र नारायण मंडल के निधन से उस भवन में हुई रिक्ति को भरने के लिए जावेद हुसैन, 3, किंग जार्ज एवेन्यू, पटना–1 सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

(ह०)

बिहार विधान सभा भवन, पटना ।
8 दिसम्बर, 1975

रिटर्निंग आफिसर तथा सचिव,
बिहार विधान सभा ।"

[सं० एफ० 13(3)/75–विधा–II]

ई० वैकटेश्वरन्, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975